संख्या— /2015 4(2)2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2015

विषय :— प्रचार–प्रसार की दृष्टि से शासकीय विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित नवीन व्यवस्था प्रभावी की जा रही है :—

"राज्य सरकार के समस्त विभाग (स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों एवं निगमों को सम्मिलित करते हुए) इलैक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से जारी करेंगें, जिससे कि शासन की नीतियों के प्रचार–प्रसार एवं विज्ञापन की दरों आदि के संबंध में एकरूपता बनी रहें। उक्त विज्ञापनों का भुगतान संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा।

विभागीय निविदाओं का प्रकाशन सूचना विभाग के माध्यम से डी0ए0वी0पी0 की दर पर किया जायेगा, ई–टेण्डर की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जायेगा, मीडिया में विज्ञापन अति आवश्यक बिन्दुओं पर सूक्ष्मतम सम्भव स्थान में प्रकाशित किया जायेगा क्योंकि ई–टेण्डर वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।"

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग (स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों एवं निगमों को सम्मिलित करते हुए), इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिन्ट मीडिया को दिये जाने वाले विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से ही जारी करेंगे। ऐसा न करने वाले अधिकारी/अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3— यह आदेश पत्रावली पर वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति/परामर्श के क्रम में जारी किये जा रहे है।

कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की जाती है।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या— (1)/XXII/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3— महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञापनों को जारी किये जाने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/दिशानिर्देशों का पूर्णतः/अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5— एन.आई.सी., सचिवालय।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रेश कुमार)
अपर सचिव।